# केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/221 दिनांक: 06.07.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00214
CICOM/R/2017/00652

अपीलकर्ता : श्री विनोद बिजूभाई चावडा,
कमरा सं. 195, सेक्टर – 6,
गणेशनगर, गांधीधाम,
कच्छ, गुजरात – 370201.

निर्णय की तारीख : 06.07.2017

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 15.05.2017 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 26.05.2017, 30.05.2017 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, श्री कृष्ण अवताल तलवार |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 27.06.2017 |
| आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि | 145943/05.07.2017 |

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 15.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, श्री कृष्ण अवताल तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता से उनके दूरभाष नं. पर संपर्क करने तथा संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमती पुष्पा जनार्दनन ने अपने दिनांक 26.05.2017 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया कि बिंदु सं. 1 एवं 2 में उल्लिखित दिनांक 22.06.2016 एवं दिनांक 08.12.2014 का दो पत्र क्रमाशः डायरी सं. 155488, 191698 एवं 189917 के तहत सेन्ट्रल रजिस्ट्री को भेजा गया है तथा बिंदु सं. 3 एवं 4 के संदर्भ में सूचित किया है कि अपीलकर्ता के दिनांक 23.04.2016 के पत्र कम्प्यूटराइज्ड डाक मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार इस आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है । इसके पश्चात श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 30.05.2017 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि डाक अनुभाग द्वारा भेजे गए पत्र बहुत प्रयास के बावजूद भी ढूंढे नहीं जा सके हैं, इसलिए आप कथित पत्रों की कॉपी अपने हस्ताक्षर एवं सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करते हुए भेजने का कष्ट करें तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी ।

3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड डाक मैनेजमेंट सिस्टम में पुनः जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का डायरी सं. 155488 शिकायत सं. CIC/KPOTR/C/2016/293219 एवं डायरी सं. 189917 अपील सं. CIC/SH/A/2014/003134 के तहत पंजीकृत हो गया है । उक्त दोनों मामलों की सुनवाई निर्धारित होने पर संबंधित सूचना आयुक्त के उप-पंजीयक द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा । अन्य मामलों में श्री कृष्ण अवतार तलवार ने पुष्टि की है कि अपीलकर्ता द्वारा भेजी गई प्रति उन्हें प्राप्त हो गई है । तद्नुसार श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं की गई कार्यवाही से अपीलकर्ता को भी अवगत करवाया जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

C.I.C. / के.सू.आ.
RECEIVED
07 JUL 2017
D. No.......
Initials.......

O/C

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री - 1) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के.सू.आ., नई दिल्ली ।